कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

निविदा सूचना

वित्तीय दो वर्ष (वर्ष 2021–22 व 2022–23) हेतु नगर निगम, देहरादून क्षेत्रांतर्गत मृत पशुओं को उठाने एवं निस्तारित करने हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार इच्छुक फर्म/व्यक्तियों/कम्पनियों को निविदा हेतु आमंत्रित किया जाता है। निविदा फार्म नगर निगम, देहरादून के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दिनाँक 15.03.2021 तक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक प्राप्त कर सांय 4:00 बजे तक जमा करनी होंगी, जो दिनाँक–17.03.2021 को सांय 4:00 बजे अथवा उसके बाद खोली जाएंगी। निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः–771(V.A)

दिनॉकः–01/03/2021

1. सम्पादक **राष्ट्रीय सहारा** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **30 प्रतिशत** छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक को **हिन्दुस्तान** इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **30 प्रतिशत** छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आई0टी0 अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना नगर निगम की वेब साईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

दे0दून क्यु नं0..........

निविदा फार्म का मूल्य रू0 500+GST@18%=590रू0

नगर निगम, देहरादून

प्रपत्र (क) तकनीकी निविदा का प्रारूप

वित्तीय दो वर्ष (वर्ष 2021–22 व 2022–23) हेतु नगर निगम, देहरादून क्षेत्रांतर्गत मृत पशुओं को उठाने एवं निस्तारित करने का कार्य ।

1.	फर्म का नाम	
2.	फर्म का पता	
3.	फर्म का फोन/मोबाईल नं0	

संलग्नक/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति का विवरण

4.	25,000.00 रू0 की अर्नेस्ट मनी ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0	
5.	अदेय स्व प्रमाण–पत्र	
6.	कार्य संतुष्टि का प्रमाण–पत्र	
6.	चरित्र प्रमाण–पत्र	
7.	संस्था का पंजीकरण प्रमाण –पत्र	

निविदादाता के हस्ताक्षर......................................

निविदादाता का नाम ....

पता...

मोहर..

मोबाइल नं0..

नगर निगम, देहरादून

प्रपत्र (ख) वित्तीय निविदा का प्रारूप

वित्तीय दो वर्ष (वर्ष 2021–22 व 2022–23) हेतु नगर निगम, देहरादून क्षेत्रांतर्गत मृत पशुओं को उठाने एवं निस्तारित करने हेतु वित्तीय निविदा सील बंद लिफाफे में दिनांक 15.03.2021 की अपराह्न 2:00 बजे तक वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, नगर नगम, देहरादून के कार्यालय में जमा की जानी चाहिए, जो दिनाँक 17.03.2021 को सांय 4:00 बजे अथवा उसके बाद खोली जाएंगी।

क0सं0	पशु की जाति	प्रति शव निस्तारण शुल्क
1.	गोवंश व अन्य बड़े पशु (गाय, सांड, भैंस, बैल, बछड़ा, बछड़ी,घोड़ा, गधा, खच्चर, कटड़ा, कट़ड़ी आदि)	
2.	कुत्ते, बिल्ली	
3.	सुअर	
4.	भेड़, बकरी	

निविदादाता के हस्ताक्षर....................................

निविदादाता का नाम ....

पता..

मोहर...

मोबाइल नं0...

नगर निगम, देहरादून (पशुचिकित्सा अनुभाग)

नगर निगम, देहरादून क्षेत्रांतर्गत मृत पशुओं को उठाने एवं निस्तारित करने हेतु ठेके की शर्ते व नियम

1. निविदा तथा कार्य के सम्बन्ध में कोई जानकारी निगम के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिनाँक–15.03.2021 तक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक (रविवार एवं अवकाश के दिवस को छोड़कर) प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म क्रय उपरांत यह समझा जायेगा कि ठेकेदार ने कार्य के सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है। निविदाएँ दिनाँक–15.03.2021 को सांय 4:00 बजे तक जमा करनी होंगी जो दिनाँक–17.03.2021 को सांय 4:00 बजे अथवा उसके बाद खोली जाएंगी।
2. निविदा सील बन्द मजबूत लिफाफों में नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के नाम से भेजनी आवश्यक हैं, जो वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, देहरादून कार्यालय कक्ष संख्या–12 में निविदा बॉक्स में डाला जाना अनिवार्य है। किसी अन्य अधिकारी के नाम निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। लिफाफे पर "निविदा" शब्द लिखा जायेगा व लिफाफे पर निविदादाता का नाम और पता साफ–साफ अंकित होगा। बगैर सील बन्द निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदाओं पर निर्णय नगर आयुक्त द्वारा अथवा निगम द्वारा इस आशय से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। निविदा नोटिस में दिये गए निर्धारित समय पर निविदा खोली जाएंगी, यदि निविदादाता चाहें तो निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
4. तकनीकी निविदा खोलने के उपरांत ही नियमानुसार वित्तीय निविदा खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम में निहित होगा। यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम अथवा अन्य निविदा स्वीकार ही की जाय।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के लिखित अनुमोदन के बगैर ठेका मान्य नहीं होगा।
6. निविदा में सम्मिलित होने हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ही पात्र होगें, जो किउत्तराखण्ड़ राज्य में पंजीकृत होनी अनिवार्य है।
7. निविदादाता पर नगर निगम की कोई देय निविदा तिथि तक शेष नहीं होनी चाहिए, न ही किसी कार्यालय/संस्था द्वारा कभी ब्लैकलिस्टेड होनी चाहिये। इस आशय का स्व–प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
8. ऐसे निविदादाता जो वर्तमान में नगर निगम, देहरादून में उक्त कार्य करा रहे हैं, उन्हें कार्य संतुष्टि का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निविदादाता को निविदा राशि सुस्पष्ट पठनीय शब्दों व अंको में अंकित करनी होगी।
10. इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को निविदा पत्र के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र तथा संस्था का पंजीकरण प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख संलग्न करने अनिवार्य हैं।
11. निविदा के साथ रू0 25,000.00 की अर्नेस्ट मनी ड्राफ्ट/सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 धरोहर के रूप में जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के नाम बंधक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
12. मृत पशु से तात्पर्य समस्त मृत जानवर जिसमें गाय, सांड, भैंस, बैल, बछड़ा, बछड़ी, घोड़ा, गधा, खच्चर, कटड़ा, कटड़ी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, भेड़, बकरी से है।
13. मृत पशु संबंधी सूचना मिलने पर ठेकेदार को अधिकतम 5 घंटे के अन्दर मृत पशुओं को उठा लेना अनिवार्य होगा अन्यथा निगम की अन्य व्यवस्था से मृत पशु उठाने पर उसके व्यय शुल्क रूपये 1000 प्रति की दर से ठेकेदार को देय धनराशि से कटौती कर लिया जायेगा।
14. मृत पशु विषयक सूचना हेतु ठेकेदार को एक या अधिक ऐसा दूरभाष/मोबाईल नं0 उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो 24×7 उपलब्ध रहे अन्यथा दूरभाष/मोबाईल पर संपर्क न हो पाने की दशा में रूपये 1000 प्रति की दर से ठेकेदार को देय धनराशि से कटौती कर लिया जायेगा।

क्रमशः–2

15. अनुबंधित समिति मृत पशु शव निस्तारण हेतु यथोचित स्थल की स्वयं व्यवस्था करेगी और निस्तारण स्थल उपलब्ध कराना नगर निगम का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
16. मृत पशु के शव को किसी आबादी के कम से कम 200 मीटर की दूरी पर निस्तारित करना होगा।
17. संक्रामक रोग से पीड़ित मृत पशु की खाल/हड्डियां प्रयोग में नहीं लायी जायेंगी, ऐसे पशु को बिना खाल निकाले जमीन में 4 फीट नीचे दबाया जायेगा।
18. सफल निविदादाता को कार्यपूर्ति धरोहर के रूप में रू0 30,000/– की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के रूप में वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के पक्ष में होना अनिवार्य है व 27 माह तक वैध होना आवश्यक है, तत्पश्चात आपको कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
19. मृत पशु को इस प्रकार ढककर उठाकर ले जाया जाये कि राहगीरों को न दिखाई दें।
20. अनुबन्ध की अवधि 02 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021–22 व 2022–23) की होगी। सफल निविदादाता के कार्य से संतुष्ट न होने पर अनुबंध 02 वर्ष से पहले समाप्त किया जा सकता है। 2 वर्ष की समाप्ति उपरांत संतोषजनक कार्य रहने की दशा में अनुबंध को आपसी सहमति एवं सुसंगत नियमों के आधार पर बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
21. किसी भी शर्त के उल्लघंन पर नगर निगम को अधिकार होगा कि वह अनुबंध को निरस्त कर दें।
22. निविदा प्रपत्र एवं शर्ते रू0 500+GST@18%=590/– रू0 के नकद भुगतान पर वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दिनांक–15.03.2021 को अपराह्न 2:00 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं। निविदा सूचना नगर निगम, देहरादून के वेबसाईट http://nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा ठेकेदार को केवल एक बार ही सूचित किया जाना पर्याप्त होगा।

मैने उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है यदि यह निविदा स्वीकृत होती है तो मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में कार्य करने एवं भुगतान करने हेतु सहमत हूँ/हैं। मैंने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये हैं व समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर ठेकेदार ....

नामः ....

पताः ....

मो0न0...

हस्ताक्षर

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम, देहरादून